

44 इमामसैन पुत्री स्व. षहीद खां पुत्र स्व. अहमददीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया
45 तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

- 1- श्री महावीर बेरड़-वकील वादीगण
- 2- श्री कुलदीप मूण्ड-वकील प्रति.सं. 1 ता 44

निर्णय

दिनांक :- 23.3.2024

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि प्रतिवादी सं. 1 वादी की माता, प्रतिवादी सं. 2 व 3 वादी के चाचा, प्रतिवादी सं. 4 वादी की चाची, प्रतिवादी सं. 5 ता 8 वादी के चचेरे भाई है। जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 10.120 है. कृषि भूमि तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 12 ता 21 एवं मृतक अहमददीन, ऐसाबीबी, नूरमोहम्मद के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के विवादित खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 9.325 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातो की जमाबन्दीयो की चित्रप्रति सलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त परिवार की कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादीगण के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया था। जिसमें प्रतिवादी सं. 25, 26, 28 ता 39 एवं 41 ता 44 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 24, 27 व 40 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया था। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 24, 27 व 40 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं :-

(क) वादी आमीन पुत्र स्व. फैजमोहम्मद एवं प्रतिवादी सं. 1 करमा बीबी पत्नी फैजमोहम्मद समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
	139/193	34	24/0.253 है.
	139/194	44	1ता5/0.253 है.प्र.
	194/140	45	10/0.253 है.
	139/195	55	3/0.253 है., 8/0.051 है.(किला की उत्तरी दिशा में.) कुल 2.075 है. कृषि भूमि

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
	138/193	35	19,20,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.202 है., 25/2/0.026 है., 25/3/0.025 है.
	138/194	43	2,3,8,9,12/0.253 है.प्र., 4/0.012 है. 13/0.126 है.(किला की पश्चिमी दिशा में)
	137/193	36	16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है. कुल 2.668 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 2 मोहम्मददीन पुत्र फतेहदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74	प.नं.	मु.नं.	कि.नं.



139/193 34 11,12,18ता23/0.253 है.प्र.
 139/195 55 4/0.253 है., 8/0.202 है.(किला की दक्षिणी दिशा में),
 13,18/0.253 है.प्र.

कुल 2.985 है. कृषि भूमि
 चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

138/194 43 4/0.241 है.(किला की पूर्वी दिशा में),
 5/1/0.202 है., 5/2/0.026 है.,
 5/3/0.025 है.

कुल 0.494 है. मय गै.मु. कृषि भूमि



(ग) प्रतिवादी सं. 3 नूरनबी पुत्र फतेहदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

139/194 44 6ता10,14ता16/0.253 है.प्र.,
 17/0.190 है.(किला की पूर्वी दिशा में.)

138/194 43 6/1/0.202 है., 6/2/0.026 है., 6/3/0.025 है.
 कुल 2.468 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

138/193 35 13,18/0.253 है.प्र.
 138/194 43 7/0.253 है.

कुल 0.759 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 4 हलीमा बीबी पत्नी नूरअहमद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

139/194 44 19/0.051 है.(किला की दक्षिणी दिशा में),
 22/0.013 है.(किला की उत्तरी दिशा में.)

कुल 0.064 है. कृषि भूमि

(ङ) प्रतिवादी सं. 5 यासीन मोहम्मद पुत्र नूरअहमद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

139/194 44 17/0.063 है.(किला की पश्चिमी दिशा में),
 18/0.253 है., 19/0.152 है.(किला की उत्तरी दिशा में.)

कुल 0.468 है. कृषि भूमि

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

138/193 35 12/0.253 है.
 कुल 0.253 है. कृषि भूमि

(च) प्रतिवादी सं. 6 कुतबदीन पुत्र नूरअहमद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

139/144 44 19/0.050 है.
 138/194 43 15/1/0.202 है., 15/2/0.026 है., 15/3/0.025 है.

कुल 0.303 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
 प.नं. मु.नं. कि.नं.

138/194 43 13/0.127 है.(किला की पूर्वी दिशा में),
 14/0.253 है.

कुल 0.380 है. कृषि भूमि

(छ) प्रतिवादी सं. 7 साहबदीन पुत्र नूरअहमद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाष्ठ की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74



प.नं. मु.नं. कि.नं.
139/194 44 11/0.253 है., 12/0.126 है. (किला की पश्चिमी दिशा में)
कुल 0.379 है. कृषि भूमि

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.
138/193 35 11/0.253 है.
कुल 0.253 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 8 हुकमदीन पुत्र नूरअहमद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.
139/194 44 12/0.127 है. (किला की पूर्वी दिशा में), 13/0.253 है.
कुल 0.380 है. कृषि भूमि

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.
138/193 35 23/0.253 है.
कुल 0.253 है. कृषि भूमि

(इ) प्रतिवादी सं. 9, 10, 11 क्रमशः कुरशैद अहमद पुत्र ईसमाइल खां(0.493 है.), मोहम्मद रफीक पुत्र कुरशैद अहमद(0.253 है.) एवं मोहम्मद सदीक पुत्र कुरशैद अहमद(0.253 है.) समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.
139/194 44 22/0.240 है. (किला की दक्षिणी दिशा में),
23,24,25/0.253 है.प्र.
कुल 0.999 है. कृषि भूमि

(ज) प्रतिवादी सं. 12 ता 15 क्रमशः अमीन खां पुत्र इलमदीन(0.327 है.), अरसा पत्नी इलमदीन(0.063 है.), बिलालदीन पुत्र इलमदीन(0.327 है.) एवं मोहम्मद सलाम पुत्र इलमदीन(0.295 है.) समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.
138/193 35 21,22/0.253 है.प्र.
138/194 43 1,10/0.253 है.प्र.
कुल 1.012 है. कृषि भूमि

(ट) प्रतिवादी सं. 16 व 17 क्रमशः नूरहसन पुत्र मिर्जा एवं विराम पुत्र मिर्जा समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.
139/192 23 21/0.253 है.
139/193 34 1/0.127 है.
कुल 0.380 है. कृषि भूमि

(ठ) प्रतिवादी सं. 18 मुस्तफा पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.
138/192 22 24/0.063 है., 25/1/0.057 है., 25/2/0.006 है.
138/193 35 4/1/0.114 है., 4/2/0.012 है., 5/1/0.114 है.,
5/2/0.013 है.
कुल 0.379 है. कृषि भूमि

(ड) प्रतिवादी सं. 19 यासीन मोहम्मद पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.
138/192 22 24/0.190 है., 25/1/0.171 है., 25/2/0.019 है.

कुल 0.380 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 20 मोहम्मद रमजान पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
138/193 35 4/1/0.114 है., 4/2/0.013 है., 5/1/0.063 है.,
5/2/0.038 है., 5/3/0.014 है., 6/2/0.190 है.,
6/3/0.026 है., 6/4/0.025 है.

कुल 0.483 है. मय गै.मु. कृषि भूमि



प्रतिवादी सं. 21 मोहम्मद सुभान पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
139/193 34 1/0.126 है., 10/0.253 है.

कुल 0.379 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 22 ता 24, 27 एवं 40 क्रमशः मोहम्मद तुफैल पुत्र अहमददीन(0.389 है.), मोहम्मद सलाम पुत्र अहमददीन(0.334 है.), मोहम्मद इसाक पुत्र अहमददीन(0.195 है.), फतेह बीबी पुत्री अहमददीन(0.140 है.), एवं निसारा बीबी पत्नी शहीद खां(0.194 है.) समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
138/193 35 7/2/0.240 है., 14/0.253 है., 15/1/0.202 है.,
15/2/0.026 है., 15/3/0.025 है., 16/1/0.202 है.,
16/2/0.026 है., 16/3/0.025 है., 17/0.253 है.
कुल 1.252 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी को बंटवारा एवं कब्जाकाशत में प्राप्त है जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काफ़्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने की अधिकारिणी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी को बंटवारा एवं कब्जाकाशत में प्राप्त है जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी को खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है। प्रतिवादी सं. 1 ता 21 के नाम से कृषि भूमि दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी सं. 22 ता 44 को मृतक अहमददीन, ऐसाबीबी, नूरमोहम्मद के विधिक वारिसान होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 45 को भू-धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 10.120 है. कृषि भूमि में से वादी को 2.075 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 2 को 2.985 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 को 2.973 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 3 को 2.468 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 4 को 0.064 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 5 को 0.468 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 6 को 0.303 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 7 को 0.379 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 8 को 0.379 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 9 को 0.493 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 10 व 11 को 0.506 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर उक्तानुसार ही हिस्सा घटाया बढ़ाया जावे एवं इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 12 ता 21

कलेक्टर एवं उच्च खास अधिकारी
संगरिया

एवं मृतक अहमददीन, ऐसाबीबी, नूरमोहम्मद के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के विवादित खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 9.325 है. कृषि भूमि में से वादी को 2.868 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 2 को 0.494 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 को 0.506 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 3 को 0.759 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 5 को 0.253 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 6 को 0.380 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 7 को 0.253 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 8 को 0.253 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 9 को 0.506 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 10 व 11 को 0.506 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 10 को 0.327 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 13 को 0.063 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 14 को 0.327 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 15 को 0.295 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 16 को 0.190 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 17 को 0.190 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 18 को 0.379 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 19 को 0.380 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 20 को 0.483 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 21 को 0.379 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 22 को 0.389 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 23 को 0.334 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 24 को 0.195 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 27 को 0.140 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 40 को 0.194 है. कृषि भूमि का खातेदार काष्ठकार घोषित कर मृतक अहमददीन, ऐसाबीबी, नूरमोहम्मद के नाम कलमजन किये जावे एव वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण का खाता अलग से कायम किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगदार की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 44 जरिये अधिवक्ता अपना जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 45 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी आमीन ने अपना शपथ-पत्र अर्न्तगत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया, और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की गई। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, इस पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि वादी एव प्रतिवादी सह-काष्ठकार है वादग्रस्त कृषि भूमि का हमने अच्छी मन्दी अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादी व प्रतिवादीगण आपस में सहमत है और सहमति के जवाब दावा भी पेश हो चुके है एवं वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकिल प्रतिवादीगण ने भी वाद पत्र को मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 6 डीएलपी खाता संख्या 10/88 ज.स. 2071-74 व चक 6 डीएलपी खाता संख्या 11/39 ज.स. 2071-74 में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर अपना हक/हिस्सा अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

कलक्टर एवं
उपपंच अधिकारी
संगरिया



क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र मुताबिक जवाब दावा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 10.120 है. कृषि भूमि में से वादी को 2.075 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 2 को 2.985 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 को 2.973 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 3 को 2.468 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 4 को 0.064 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 5 को 0.468 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 6 को 0.303 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 7 को 0.379 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 8 को 0.379 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 9 को 0.493 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 10 व 11 को 0.506 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्तानुसार ही हिस्सा घटाया बढ़ाया जावे एवं इसी प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3, 12 ता 21 एवं मृतक अहमददीन, ऐसाबीबी, नूरमोहम्मद के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के विवादित खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 9.325 है. कृषि भूमि में से वादी को 2.668 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 2 को 0.494 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 2 को 0.506 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 3 को 0.759 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 5 को 0.253 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 6 को 0.380 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 7 को 0.253 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 8 को 0.253 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 9 को 0.506 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 10 व 11 को 0.506 है. कृषि भूमि, प्रतिवादी सं. 10 को 0.327 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 13 को 0.063 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 14 को 0.327 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 15 को 0.295 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 16 को 0.190 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 17 को 0.190 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 18 को 0.379 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 19 को 0.380 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 20 को 0.483 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 21 को 0.379 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 22 को 0.389 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 23 को 0.334 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 24 को 0.195 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 27 को 0.140 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 40 को 0.194 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक अहमददीन, ऐसाबीबी, नूरमोहम्मद का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी का खाता निम्नानुसार अलग-अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

(क) वादी आमीन पुत्र स्व. फ़ैजमोहम्मद एवं प्रतिवादी सं. 1 करमा बीबी पत्नी फ़ैजमोहम्मद समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/193	34	24/0.253 है.
139/194	44	1ता5/0.253 है.प्र.
194/140	45	10/0.253 है.
139/195	55	3/0.253 है., 8/0.051 है.(किला की उत्तरी दिशा में) कुल 2.075 है. कृषि भूमि

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
138/193	35	19,20,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.202 है., 25/2/0.026 है., 25/3/0.025 है.
138/194	43	2,3,8,9,12/0.253 है.प्र., 4/0.012 है. 13/0.126 है.(किला की पश्चिमी दिशा में)
137/193	36	16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है. कुल 2.668 है. मय गै.मु. कृषि भूमि




 उपखण्ड अधिकारी
 संगरिया

प्रतिवादी सं. 2 मोहम्मददीन पुत्र फतेहदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/193	34	11,12,18ता23/0.253 है.प्र.
139/195	55	4/0.253 है., 8/0.202 है.(किला की दक्षिणी दिशा में), 13,18/0.253 है.प्र.
कुल 2.985 है. कृषि भूमि		

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
138/194	43	4/0.241 है.(किला की पूर्वी दिशा में), 5/1/0.202 है., 5/2/0.026 है., 5/3/0.025 है.
कुल 0.494 है. मय गै.मु. कृषि भूमि		



प्रतिवादी सं. 3 नूरनबी पुत्र फतेहदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/194	44	6ता10,14ता16/0.253 है.प्र., 17/0.190 है.(किला की पूर्वी दिशा में.)
138/194	43	6/1/0.202 है., 6/2/0.026 है., 6/3/0.025 है.
कुल 2.468 है. मय गै.मु. कृषि भूमि		

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
138/193	35	13,18/0.253 है.प्र.
138/194	43	7/0.253 है.
कुल 0.759 है. कृषि भूमि		

प्रतिवादी सं. 4 हलीमा बीबी पत्नी नूरअहमद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/194	44	19/0.051 है.(किला की दक्षिणी दिशा में), 22/0.013 है.(किला की उत्तरी दिशा में.)
कुल 0.064 है. कृषि भूमि		

प्रतिवादी सं. 5 यासीन मोहम्मद पुत्र नूरअहमद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/194	44	17/0.063 है.(किला की पश्चिमी दिशा में), 18/0.253 है., 19/0.152 है.(किला की उत्तरी दिशा में.)
कुल 0.468 है. कृषि भूमि		

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
138/193	35	12/0.253 है.कुल 0.253 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 6 कुतबदीन पुत्र नूरअहमद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
139/144	44	19/0.050 है.
138/194	43	15/1/0.202 है., 15/2/0.026 है., 15/3/0.025 है.
कुल 0.303 है. मय गै.मु. कृषि भूमि		

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
138/194	43	13/0.127 है.(किला की पूर्वी दिशा में), 14/0.253 है.
कुल 0.380 है. कृषि भूमि		

- (13) प्रतिवादी सं. 7 साहबदीन पुत्र नूरअहमद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
139/194 44 11/0.253 है., 12/0.126 है.(किला की पश्चिमी दिशा में)
कुल 0.379 है. कृषि भूमि
- चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
138/193 35 11/0.253 है.
कुल 0.253 है. कृषि भूमि
- (14) प्रतिवादी सं. 8 हुकमदीन पुत्र नूरअहमद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
139/194 44 12/0.127 है.(किला की पूर्वी दिशा में), 13/0.253 है.
कुल 0.380 है. कृषि भूमि
- चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
138/193 35 23/0.253 है.
कुल 0.253 है. कृषि भूमि
- (15) प्रतिवादी सं. 9, 10, 11 क्रमशः कुरशैद अहमद पुत्र ईसमाइल खां(0.493 है.), मोहम्मद रफीक पुत्र कुरशैद अहमद(0.253 है.) एवं मोहम्मद सदीक पुत्र कुरशैद अहमद(0.253 है.) समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 11/39 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
139/194 44 22/0.240 है.(किला की दक्षिणी दिशा में),
23,24,25/0.253 है.प्र.
कुल 0.999 है. कृषि भूमि
- (16) प्रतिवादी सं. 12 ता 15 क्रमशः अमीन खां पुत्र इलमदीन(0.327 है.), अरसा पत्नी इलमदीन(0.063 है.), बिलालदीन पुत्र इलमदीन(0.327 है.) एवं मोहम्मद सलाम पुत्र इलमदीन(0.295 है.) समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
138/193 35 21,22/0.253 है.प्र.
138/194 43 1,10/0.253 है.प्र.
कुल 1.012 है. कृषि भूमि
- (17) प्रतिवादी सं. 16 व 17 क्रमशः नूरहसन पुत्र मिर्जा एवं विराम पुत्र मिर्जा समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-
चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
139/192 23 21/0.253 है.
139/193 34 1/0.127 है.
कुल 0.380 है. कृषि भूमि
- (18) प्रतिवादी सं. 18 मुस्तफा पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
138/192 22 24/0.063 है., 25/1/0.057 है., 25/2/0.006 है.
138/193 35 4/1/0.114 है., 4/2/0.012 है., 5/1/0.114 है.,
5/2/0.013 है.
कुल 0.379 है. कृषि भूमि
- (19) प्रतिवादी सं. 19 यासीन मोहम्मद पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-



कलक्टर एवं
जयपुर एवं खण्ड अधिकारी
संगरिया



चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

138/192

22

24/0.190 है., 25/1/0.171 है., 25/2/0.019 है.
कुल 0.380 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 20 मोहम्मद रमजान पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

138/193

35

4/1/0.114 है., 4/2/0.013 है., 5/1/0.063 है.,
5/2/0.038 है., 5/3/0.014 है., 6/2/0.190 है.,
6/3/0.026 है., 6/4/0.025 है.
कुल 0.483 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 21 मोहम्मद सुमान पुत्र हुसैन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

139/193

34

1/0.126 है., 10/0.253 है.
कुल 0.379 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 22 ता 24, 27 एवं 40 क्रमशः मोहम्मद तुफैल पुत्र अहमददीन(0.389 है.), मोहम्मद सलाम पुत्र अहमददीन(0.334 है.), मोहम्मद इसाक पुत्र अहमददीन(0.195 है.), फतेह बीबी पुत्री अहमददीन(0.140 है.), एवं निसारा बीबी पत्नी षहीद खां(0.194 है.) समस्त जाति मुसलमान निवासीगण किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 6 डी.एल.पी. खाता सं. 10/88 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

138/193

35

7/2/0.240 है., 14/0.253 है., 15/1/0.202 है.,
15/2/0.026 है., 15/3/0.025 है., 16/1/0.202 है.,
16/2/0.026 है., 16/3/0.025 है., 17/0.253 है.
कुल 1.252 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर

हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 23.3.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)

महान्यायकालय एडवोकेट
उपरखण्ड अधिकाधिकारी संगरिया
संगरिया